निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 माघ 1936 (श0)

(सं0 पटना 198) पटना, वृहस्पतिवार, 22 जनवरी 2015

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

विद्यापति मार्ग, पटना–800001

————————

अधिसूचना

22 दिसम्बर 2014

सं0 1230—**श्री नरसिंह भगवान ठाकुरबाड़ी, शंकरवार टोला, वार्ड नं0– 15, थाना– मोकामा, जिला– पटना** पर्षद के तहत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0– 3743 है।

इस न्यास की व्यवस्था हेतु पर्षदीय ज्ञापांक–3292, दिनांक 18/01/1992 द्वारा एक न्यास समिति का गठन किया गया था। न्यास समिति का कार्य लगभग नगण्य था। न्यास समिति के द्वारा आय–व्यय विवरणी, बजट, कार्यवृत, पर्षद शुल्क इत्यादि कभी नहीं प्रस्तुत की गयी और न हीं न्यास के कार्यों में कभी रूचि ली गयी। न्यास समिति की निष्क्रियता की सूचना पर्षद को समय–समय पर मिलती रही है। साथ ही यह भी सूचना मिली कि मंदिर से मूर्त्ति की चोरी हो गई थी, जो पुलिस द्वारा बरामदगी के बाद से स्व0 राम पदारथ सिंह के मकान में रखा हुआ है, साथ ही न्यास समिति के अधिकांश सदस्यों का स्वर्गवास हो चुका है। पर्षद में प्राप्त श्री कृष्ण देव सिंह के आवेदन दिनांक 16/04/13 के आलोक में पर्षदीय पत्रांक–370, दिनांक 25/08/2013 के माध्यम से अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़, पटना से इस संबंध में छानबीन कर, एक प्रतिवेदन की मांग की गयी। पुनः पर्षदीय पत्रांक–1141, दिनांक 20/09/2013 के माध्यम से अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़ को यथाशीघ्र मंतव्य के साथ प्रतिवेदन देने का अनुरोध किया गया, ताकि भगवान की **मूर्त्तियों की मंदिर में पुर्नस्थापन** एवं पूजा–अर्चना प्रारंभ हो सके। इस संबंध में दिनांक 06/01/2014 को श्री कृष्ण देव प्रसाद सिंह द्वारा एक आवेदन पुनः पर्षद कार्यालय में दाखिल किया गया, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी के प्रतिवेदन की छायाप्रति भी समाहित थी। पर्षदीय पत्रांक–1895, दिनांक 10/01/14 द्वारा

सहायक पुलिस अधीक्षक, बाढ़ को न्यास समिति के गठन के लिए प्राप्त नामों की सूची का चरित्र सत्यापन कराकर मंतव्य के साथ प्रतिवेदन देने का अनुरोध किया गया। जिसके अनुपालन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बाढ़, पटना ने अपने ज्ञापांक– 2633/बाढ़, दिनांक 29/09/14 के माध्यम से ग्यारह सदस्यों का चरित्र सत्यापित कर पर्षद कार्यालय को मंतव्य के साथ प्रेषित किया।

उपरोक्त परिस्थितियों में मंदिर के जीर्णोद्धार, भगवान की प्राण–प्रतिष्ठा एवं न्यास के सम्यक् संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन आवश्यक है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा– 32 के अन्तर्गत धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो धार्मिक न्यास की उप विधि सं0– 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए **श्री नरसिंह भगवान ठाकुरबाड़ी, शंकरवार टोला, वार्ड नं0– 15, थाना– मोकामा, जिला– पटना** के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

योजना

1. अधिनियम की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''**श्री नरसिंह भगवान ठाकुरबाड़ी न्यास योजना**, शंकरवार टोला, वार्ड नं0– 15, थाना– मोकामा, जिला– पटना'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''**श्री नरसिंह भगवान ठाकुरबाड़ी न्यास समिति**, शंकरवार टोला, वार्ड नं0– 15, थाना– मोकामा, जिला– पटना'' होगी, जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की संपत्तियों की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ, राग–भोग एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय, न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय–व्यय में, आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।

5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के बजट, आय–व्यय की विवरणी, पर्षद शुल्क, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।

6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद को प्रेषित की जायेगी।

7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझी जाय, तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।

8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांरित भूमि ''यदि कोई हो तो'', उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

9. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेगें या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे, तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

12. मंदिर पुनर्निर्माण, मूर्त्तियों की स्थापना एवं उसकी पूजा–पाठ न्यास समिति की मुख्य कसौटी होगी।

उपर्युक्त योजना को मूर्त्त रूप देने एवं संचालन के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है।

(1) श्री मृत्युंजय प्रसाद सिंह

पिता– स्व0 राम लखन सिंह, वार्ड नं0– 15, थाना– मोकामा, पटना

(2) श्री उपेन्द्र शर्मा

पिता– स्व0 सूर्यनरायण सिंह, वार्ड नं0– 16, थाना– मोकामा, पटना

(3) श्री रामाश्रय प्र0 सिंह

पिता– स्व0 रीतों सिंह, वार्ड नं0– 15, थाना– मोकामा, पटना

(4) श्री गोरख प्र0 सिंह

पिता– स्व0 विन्देश्वर सिंह वार्ड नं0– 16, थाना– मोकामा, पटना

(5) श्री राम शरण सिंह

पिता– स्व0 दामोदर प्र0 सिंह, वार्ड नं0– 15, थाना– मोकामा, पटना

(6) श्री सुनील कुमार सिंह

पिता– स्व0 गौरी सिंह, वार्ड नं0– 16, थाना– मोकामा, पटना

(7) श्री रामचन्द्र सिंह

पिता– स्व0 गौरी सिंह, वार्ड नं0– 15, थाना– मोकामा, पटना

(8) श्री चन्द्रमौली प्र0 सिंह

पिता– स्व0 योगेन्द्र प्र0 सिंह, वार्ड नं0– 16, मोकामा, पटना

(9) श्री सुरेन्द्र प्र0 सिंह

पिता– स्व0 नुनु लाल सिंह, वार्ड नं0– 16, थाना– मोकामा, पटना

(10) श्री कृष्णदेव प्र0 सिंह

पिता– स्व0 ब्रहमदेव सिंह, वार्ड नं0– 16, थाना– मोकामा, पटना।

(11) महंत जी रामाअनुजा अचार्य गुरू निवास आचार्य, साकिन– धौरानी टोला, अचारी स्थान, मोकामा जिला– पटना (अचारी स्थान के पुजारी)

न्यास समिति गठन के प्रथम बैठक आहुत कर आपसी सहमति से अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्याक्ष का चुनाव करेगी तथा इसे अनुमोदन हेतु पर्षद कार्यालय को प्रेषित करेगी। यह योजना दिनांक 26/12/2014 से प्रभावी होगी और न्यास समिति का कार्यकाल 05 वर्षों का होगा।

विश्वासभाजन,

किशोर कुणाल,

अध्यक्ष ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 198-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in